भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

राजस्व विविध बाद संख्या 05/17.18

गणेश्वरी देवी वगैरह

वनाम

विहारी राऊत वगैरह

—:आदेश:—

05.11.2022

उमय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ को सुना। अभिलेख बद्व कागजातो का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकिया आवेदिका ज्ञाणेश्वरी देवी जौजे जगदीश गिरी साकिन धरहरा थाना बाराहाट जिला बॉका द्वारा श्रीमान उपायुक्त महोदय गोड्डा को संबोधित आवेदन के आलोक में अंचल कार्यालय गोड्डा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1504/रा0 दिनांक 15.09.2017 के आधार पर वाद प्रारंभ कर विपक्षी गण को नोटिस निर्गत किया गया। आवेदन के अधार पर मौजा बहोरिया थाना नम्बर 293 जमावंदी न0 29 रकवा 04–4–17 धूर (चार वीधा चार कळा सत्तरह) धूर जमीन से अबैध कब्जाधारी 1.उदेश्वर राऊत2.निरंजन राऊत 3. गणेश राऊत तिनो पेसरान स्व0 तपेश्वर राऊत साकिन बहोरिया थाना गोड्डा(मु0) जिला गोड्डा को उक्त जमीन से उच्छेद करने का आवेदन दिया है।
विपक्षी गण नोटिस पर उपस्थित होकर अपना कारण पृच्दा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का सुना एवं अभिलेख में अंचल अधिकारी गोड्डा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी गोड्डा ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा बहोरिया थाना स0 293 के अंतरर्गत प्रश्नगत जमावंदी न0 29 कुलरकवा 4–04–17 धूर जमीन गैजर सर्वे सेटलमेट का पर्चा मे जमावंदी रैयत भोथरी राऊत वो कटकी राऊत पेसरान बिहारी राऊत कौम परधा साकिन देह के नाम से सर्वे खतियान मे दर्ज है।भोथरी राऊत नावलद फौत कर गये है। दुसरे जमावंदी रैयत कटकी राऊत को एक मात्र पुत्री कपली देवी हुई जो जलधर बङ्वायक जिला बाँका विहार में ब्याही गई है। जिनकी पुत्री आवेदिका गणेश्वरी देवी है। आवेदिका गणेश्वरी देवी खतियानी रैयत कटकी राऊत की नतनी है। वादगत भूमि में आवेदिका का स्वाभित्व बनता है।
प्रतिवेदन मे यह है कि वादगत भूमि के खतियानी रैयत भोथरी राऊत एवं कटकी राऊत से वंधु राऊत के वंशज का सवंध नही है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत ज0 न0 29 मौजा बहोरिया थाना न0 293 रकवा 4–04–17 धूर जमीन गैजर सर्वे पर्चा में भोथरी राऊत वो कटकी राऊत पेसरान बिहारी राऊत के नाम से दर्ज है। भोथरी राऊत अपने भाई कटकी राऊत के साथ संयुक्ता अवस्था में नावल्द मर गये। दुसरे ज0 रैयत कटकी राऊत की आवेदिका नतनी है।ज0 रैयत कटकी राऊत की एक मात्र संतान

कपली देवी हुई। जिसकी शादी जलधर वङवायक ग्राम धरहरा थाना बाराहाट जिला बाँका के साथ हुई है। कपली देवी को तीन पुत्री गणेश्वरी देवी आवेदिका चानो देवी एवं रूकनी देवी है। चानों देवी की मृत्यु हो गई है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्त का यह भी कथन है की उनके नाना कटकी राऊत के मृत्यु के पश्चात उनकी माँ कपली देवी हक अधिकार एवं स्वत्व के साथ शान्ती पूर्ण दखलकार हुई एव उनकी माँ का नाम उक्त जमीन के हाल सर्वे खाता में भी अंकित हो गया है एवं अपनी माँ के समय से उक्त जमीन का मालगुजारी आदाकर रसीद भी प्राप्त कर लिया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है। कि पूर्व में भी प्रश्नगत ज0 न0 29 के दाग न0 527 से श्रीमान साहायक बंदोवस्त पदाधिकारी शिविर गोड्डा के न्यायालय द्वारा अपने वाद संख्या 13/2006 में विपक्षी गण के पिता तपेश्वर राऊत को उच्छेद कर आवेदिका की माता कपली देवी के पक्ष में दखल दिलाया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी गण जमावंदी रैयत भोथरी राऊत एवं कटकी राऊत के बंशज नही है। वे बाहरी व्याकिती है। परंन्तु अवैध कानुन का उल्लंधन कर प्रश्नगत पर जमीन पर अवैध दखल किए है।

अतः विपक्षी गण को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद कर आवेदिका को दखल दिलाया जाय।

विपक्षी गण के विद्वान अधिवक्ता का अपने पक्ष मे कथन है की प्रश्नगत ज0 न0 29 मौजा बहोरिया की जमीन निश्यित रूप से ज0 रैयत भोथरी राऊत एवं कटकी राऊत पे0 बिहारी राऊत के नाम गैजर सर्वे पर्चा में दर्ज है। बिहारी राऊत की दो पत्नी थी संचरी देवी एवं भोलिया देवी भोलिया देवी से दो पुत्र भोथरी राऊत एवं कटकी राऊत हुआ। भोथरी राऊत नावल्द मर गये। कटकी राऊत को एक पुत्री हुई जो नावलद मर गई। संचरी देवी से एक पुत्र वंधु राऊत हुआ वे लोग बंन्धु राऊत के वंशज है। सर्वे मे उनका नाम अंकित है। वे लोग उक्त जमीन पर वैध दखलकार है। आवेदिका को जमीन से कोई सरोकार नही है।

उभय पक्ष को सुनने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन करने एवं प्रशनगत जमीन से सवंधित अंचल अधिकारी गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है की प्रश्नगत जमीन मौजा बहोरिया थाना न0 293 जमावंदी न0 29 रकवा 04-04-17 धूर जमीन जमावंदी जमीन है। जो गत गैजर सर्वे सेटलमेट पर्चा मे जमावंदी रैयत भोथरी राऊत एवं कटकी राऊत पे0 बिहारी राऊत के नाम दर्ज है जमावंदी रैयत भोथरी राऊत नावलद हो गया है। आवेदिका ज0 रैयत कटकी राऊत की पुत्री कपली देवी का पुत्री है।

विपक्षी गण जमावंदी रैयत भोथरी राऊत एवं कटकी राऊत के वंशज नही है। पूर्व मे भी विपक्षी गण के पिता तपेश्वर राऊत को प्रश्नगत जमावंदी न0 29 के दाग न0 527 से वन्दोवस्त पदाधिकारी शिविर गोड्डा के न्यायालय द्वारा अपने वाद संख्या 13/2006 है मे उच्छेद कर आवेदिका को दखल दिलाया गया है। गैजर सर्वे सेटलमेट मे दर्ज है विपक्षी गण द्वारा प्रश्नगत जमीन मौजा बहोरिया थाना न0 293 ज0 न0 29 रकवा 4-04-17 धूर जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने का मामला स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

(11)

अतः संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत जमीन मौजा वहोरिया ज0 नम्बर 29 रकवा 04-04-17 धूर जमीन से विपक्षी गण को उच्छेद किया जाता है।

आवेदिका को उसे पुन स्थापित करने का आदेश दिया जाता है। एवं अंचल अधिकारी गोड्डा को आदेश दिया जाता है। विषय गत जमीन से विपक्षी गण की अवैध दखल को हटाकर उसे आवेदिका को वापस कर दखल दिया जाय। कार्यालय आदेश की प्रति अंचल अधिकारी गोड्डा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

25.11.22

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

25.11.22

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.09.10 16:12:01 +05:30
Location: 192.168.29.7